न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-293RAAJodhpur2022-100RTA223 Padamsingh ors Vs Sujansingh etc

1. पदमसिंह पुत्र कल्याणसिंह
2. जुगतसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. स्व. अमरसिंह पुत्र कल्याणसिंह के वारिसान्ः -
   3.1. श्रीमती धापूकंवर पत्नी स्व. अमरसिंह
   3.2. श्रवणसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
   3.3. मनोहरसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
   3.4. शेरसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
   3.5. भवानीसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
   3.6. ओमाकंवर पुत्री स्व. अमरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती धापूकंवर पत्नी स्व. अमरसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. सुजानसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह
2. प्रभूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह
3. मानसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समन्द्रसिंह
4. भंवरसिंह पुत्र गायड़सिंह
5. बाबूसिंह पुत्र गायड़सिंह
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र गायड़सिंह
7. छतरसिंह पुत्र गायड़सिंह
8. प्रेमसिंह पुत्र गायड़सिंह
9. स्व. जेठूसिंह पुत्र आईदानसिंह के कायम मुकामः -
   9.1. नाथुसिंह पुत्र स्व. जेठूसिंह
   9.2. मालमसिंह पुत्र स्व. जेठूसिंह
   9.3. भोमसिंह पुत्र स्व. जेठूसिंह
   9.4. दुर्गसिंह पुत्र स्व. जेठूसिंह
   9.5. खेतूकंवर पत्नी स्व. जेठूसिंह
   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला जोधपुर।
10. सांवतसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह

21.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

11. बाबूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह
12. नारायणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समन्द्रसिंह
13. नकतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समन्द्रसिंह
14. संतुकंवर पुत्री चन्द्रसिंह उर्फ समन्द्रसिंह
15. उम्मेदसिंह पुत्र गायड़सिंह
16. उगमसिंह पुत्र गायड़सिंह
17. भंवरकंवर पत्नी बागसिंह
18. नाथुसिंह पुत्र बागसिंह
19. भोमसिंह पुत्र बागसिंह
20. लिछमण पुत्र बागसिंह
21. किशनसिंह पुत्र बागसिंह
22. संतुकंवर पुत्री बागसिंह
23. उगमकंवर पुत्री बागसिंह
24. समन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह
25. प्रेमसिंह पुत्र हीरसिंह
26. अचलसिंह पुत्र हीरसिंह
27. राजूसिंह पुत्र हीरसिंह
28. उम्मेदसिंह पुत्र हीरसिंह
29. पनेसिंह पुत्र हीरसिंह
30. हरकंवर पत्नी हीरसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

31. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा फलोदी।
32. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा चाडी
33. शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. वर्तमान बैंक पी.एन.बी. बैंक शाखा खींचन।
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अप्रैल 2018 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 04/2016 सुजानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि

उपस्थित-

श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स

21.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

श्री नाहरसिंह सोलंकी, श्री पुष्पेन्द्रसिंह, अधिवक्ता- रेस्पो. संख्या 01 से 08, 9/2 से 16
श्री राजेन्द्र जाखड़, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 33
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 34

नि र्ण य

दिनांक : 21 फरवरी 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 04/2016 सुजानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26 अप्रैल 2018 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 08 जून 2022 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट्स द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से नौ द्वारा एक वाद बाबत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 1809 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 1810 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 1811 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 1812 रकबा 22 बीघा, खसरा नं. 1815 रकबा 286 बीघा, खसरा नं. 1826 रकबा 9.10 बीघा, खसरा नं. 1818 रकबा 68.06 बीघा, खसरा नं. 1819 रकबा 0.05 बीघा, खसरा नं. 1820 रकबा 0.06 बीघा खसरा नं. 1821 रकबा 18.10 बीघा, खसरा नं. 1835 रकबा 29.03 बीघा वाके मौजा ग्राम कृष्णनगर तहसील आउ के संबंध में विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 10 मई 2017 को राजीनामा के आधार पर वाद में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया गया। तहसीलदार विभाजन से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26 अप्रैल 2018 को अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री जारी कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत विभाजन प्रस्ताव मंगवाये बिना ही राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार पर मानकर अंतिम डिक्री जारी कर दी जो किसी भी सूरत में नहीं की जा सकती है। राजस्व निरीक्षक ने केवल जमाबंदी के इन्द्राजों के अनुसार प्रत्येक पक्षकार के हिस्से में आने वाले रकबे की जानकारी देते हुए रिपोर्ट तैयार की एवं उन्होंने मौके पर भूमि का कोई नाप नहीं किया एवं न कर सकते थे तथा मौके पर स्थित सभी प्रकार के निर्माण ईत्यादि के बारे में कोई विवरण नहीं दिया। वास्तव में तो राजस्व निरीक्षक मौके पर गये ही नहीं बल्कि पक्षकारान् क हस्ताक्षर उनके घर पर ही करवा लिये जो खाली कागजों पर करवाये गये जैसा कि तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत दो पेजों की रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है। प्राथमिक डिक्री जारी करते वक्त विचारण न्यायालय ने तहसीलदार को यह निर्देश दिया था कि वे स्वयं मौके पर जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करेंगे, परन्तु तहसीलदार कभी भी मौके पर नहीं आये तथा नियम 18 से 21 की पालना में न कोई नाप किया, केवल राजस्व निरीक्षक द्वारा मनमाने ढंग से नक्शे में लाईने डालकर पक्षकारान् की गैर मौजूदगी में तैयार रिपोर्ट को उसी रूप में अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित कर दिया एवं अधीनस्थ न्यायालय ने उसी को आधार मानकर अंतिम डिक्री जारी कर दी। खसरा नं. 1815 में अपीलार्थी की पुरानी ढाणी एवं पुराना टांका बना हुआ है, जिसे मनमाने ढंग से राजस्व निरीक्षक ने अपनी रिपोर्ट में वादीगण के हिस्से में रख दिया, जिसे ऐसा करने का

21.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिकार नहीं था। ऐसी रिपोर्ट के आधार पर अंतिम डिक्री जारी की गई है, वह हर सूरत में निरस्त किये जाने योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि भू-अभिलेख निरीक्षक द्वारा अपीलार्थीगण को अवगत करवाया गया कि उनके राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से का विभाजन जमाबंदी में किया जा रहा है एवं उन्हें हिस्से बता दिये गये तथा खाली कागजों पर अंगुष्ठ निशान व हस्ताक्षर करवा कर कहा गया कि अब तहसीलदार जी स्वयं मौके पर आयेंगे एवं संपूर्ण भूमि का नाप कर सभी पक्षकारान् की मौजूदगी में नक्शा बनाया जावेगा एवं विभाजन उसके बाद किया जावेगा। राजस्व निरीक्षक न तो कोई नाप किया एवं न ही तहसीलदार स्वयं मौके पर आये। खसरा नं. 1815 में अपीलार्थीगण का हिस्सा तय किया गया, परन्तु मौके पर कोई नाप नहीं किया गया। इस खसरे पर अपीलार्थी द्वारा बनाये गये पुराने टांके एवं झौपे पर वादीगण ने दिनांक 15.0.2022 को कब्जा करने की कोशिश की व झौपे को उपर से हटा दिया व पानी के टांके को तारबंदी से कंवर करनें की कोशिश की तो अपीलार्थी ने मना किया तो वादीगण ने बताया कि टांका व झौपा उनके बंट में दिया गया है। इस पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.05.2022 को जमाबंदी की नकले ली तो उसमें बंटवाड़े का नोट लगा हुआ था, इस पर दिनांक 24.05.2022 को अपीलार्थी फलोदी गया एवं वकील से मिला तो उन्होंने बताया कि तहसीलदार की रिपोर्ट आयी ही नहीं है तो कैसे फैसला कर दिया, उसी समय फैसले कीनकल के लिए अर्जी दी जो नकल दिनांक 24.05.2022 को मिल गई ,जिसे देखने पर अपीलार्थी को पता लगा कि राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर फैसला कर दिया गया है। इससे पूर्व अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की कोई जानकारी नहीं थी।

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुति में हुए विलंब को न्याय हित में माफ करते हुए अपील अपीलांट्स गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि हस्तगत मामले में उभय पक्षकारान् की सहमति एवं राजीनामा के आधार पर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार फलोदी से विभाजन प्रस्ताव तलब किया गया है। निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार फलोदी, भू-अभिलेख निरीक्षक आउ तथा पटवारी हल्का श्रीकृष्णनगर द्वारा उभय पक्ष उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट पदमसिंह, जुगतसिंह एवं अपीलांट संख्या 3/1 से 3/6 के पिता स्व. अमरसिंह सहित सभी पक्षकारान् के हस्ताक्षर मौजूद है। तहसीलदार फलोदी द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयारी के वक्त नियम 18 से 21 की पूर्ण पालना की गई है तथा सभी पक्षकारान् के आवागमन हेतु रास्ते का प्रावधान किया गया है। विभाजन प्रस्ताव में स्पष्ट अंकन किया गया है कि उक्त भूमि संलग्न नजरी नक्शानुसार रखी गई है। अपीलांट्स द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर विचारण न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की कोई आपत्तियॉ भी पेश नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार फलोदी से प्राप्त विधिनुसार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की है।

म्याद के संबंध में वकील रेस्पो. ने निवेदन किया कि विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार किया गया है तथा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिनुसार तैयार विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी शुरूआत से ही रही है। अपीलांट्स द्वारा आलौच्य अपील अत्यंत विलंब से पेश की है, जिसका कोई भी युक्तियुक्त कारण नहीं बतलाया है। अपीलांट्स द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम में बनावटी एवं मनगढंत कथन किये गये है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तत आलौच्य अपील सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता एवं रेस्पो. संख्या 33 के अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक तहसीलदार फलोदी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन प्रस्ताव उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है। सभी पक्षकारान् को समानांतर रूप में आनुपातिक जमीन दी गई है, जिससे किसी पक्षकार के आवागमन में समस्या न हो।

जहां तक अपीलांट्स का कथन है कि विभाजन प्रस्ताव नियमों के तहत तैयार नहीं किया गया है तथा उनके खाली पृष्ठों पर हस्ताक्षर करवाकर उनकी अनुपस्थिति में तैयार किया गया। अपीलांट्स के उक्त उज्र के संबंध में विभाजन प्रस्ताव के अवलोकन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार फलोदी की मुहर मय काउंटर हस्ताक्षर मौजूद है तथा प्रतिवादी/अपीलांट्स पदमसिंह एवं जुगतसिंह के अंगुष्ठ निशान तथा अपीलांट/प्रतिवादी अमरसिंह के हस्ताक्षरों सहित अन्य पक्षकारान् सुजानसिंह, बाबुसिंह, प्रेमसिंह, जेठूसिंह, सांवतसिंह, भंवरसिंह के हस्ताक्षर

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मौजूद है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलांट्स को मौके पर बुलाया गया न हो तथा विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार न हो। यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट्स/प्रतिवादीगण द्वारा विभाजन प्रस्ताव बाबत कोई उज्र एतराज प्रस्तुत किया जाना प्रकट नहीं है।

विभाजन प्रस्ताव उभय पक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार किया गया होने तथा विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की जानकारी पक्षकारान् को शुरूआत से ही रहना स्वाभाविक है। अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब पर सद्‌भाविक एवं संतोषजनक कारण नहीं बतलाया है, जिससे विलंब को क्षमा किया जा सके। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट काल वर्जित पायी जाती है।

इन परिस्थितियों में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट गुणावगुण पर सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 04/2016 सुजानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26 अप्रैल 2018 यथावत रखे जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.2.24

(मंगलाराम पूनिया)

राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2022-293RAAJodhpur2022-100RTA223 Padamsingh ors Vs Sujansingh etc

अपीलाण्ट

1. पदमसिंह पुत्र कल्याणसिंह
2. जुगतसिंह पुत्र कल्याणसिंह
3. स्व. अमरसिंह पुत्र कल्याणसिंह के वारिसान्: -
   - 3.1. श्रीमती धापूकंवर पत्नी स्व. अमरसिंह
   - 3.2. श्रवणसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
   - 3.3. मनोहरसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
   - 3.4. शेरसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
   - 3.5. भवानीसिंह पुत्र स्व. अमरसिंह
   - 3.6. ओमाकंवर पुत्री स्व. अमरसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमती धापूकंवर पत्नी स्व. अमरसिंह

सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोडेण्ट

1. सुजानसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह
2. प्रभूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह
3. मानसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समन्द्रसिंह
4. भंवरसिंह पुत्र गायड़सिंह
5. बाबूसिंह पुत्र गायड़सिंह
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र गायड़सिंह
7. छतरसिंह पुत्र गायड़सिंह
8. प्रेमसिंह पुत्र गायड़सिंह
9. स्व. जेठूसिंह पुत्र आईदानसिंह के कायम मुकामः -
   - 9.1. नाथुसिंह पुत्र स्व. जेठूसिंह
   - 9.2. मालमसिंह पुत्र स्व. जेठूसिंह
   - 9.3. भोमसिंह पुत्र स्व. जेठूसिंह
   - 9.4. दुर्गासिंह पुत्र स्व. जेठूसिंह
   - 9.5. खेतूकंवर पत्नी स्व. जेठूसिंह

   सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला जोधपुर।
10. सांवतसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह
11. बाबूसिंह पुत्र दुलसिंह उर्फ बुलीदानसिंह
12. नारायणसिंह पुत्र चन्द्रसिंह

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उर्फ समन्द्रसिंह
13. नकतसिंह पुत्र चन्द्रसिंह उर्फ समन्द्रसिंह
14. संतुकंवर पुत्री चन्द्रसिंह उर्फ समन्द्रसिंह
15. उम्मेदसिंह पुत्र गायड़सिंह
16. उगमसिंह पुत्र गायड़सिंह
17. भंवरकंवर पत्नी बागसिंह
18. नाथुसिंह पुत्र बागसिंह
19. भोमसिंह पुत्र बागसिंह
20. लिछमण पुत्र बागसिंह
21. किशनसिंह पुत्र बागसिंह
22. संतुकंवर पुत्री बागसिंह
23. उगमकंवर पुत्री बागसिंह
24. समन्द्रसिंह पुत्र हीरसिंह
25. प्रेमसिंह पुत्र हीरसिंह
26. अचलसिंह पुत्र हीरसिंह
27. राजूसिंह पुत्र हीरसिंह
28. उम्मेदसिंह पुत्र हीरसिंह
29. पनेसिंह पुत्र हीरसिंह
30. हरकंवर पत्नी हीरसिंह
सभी जातियान् राजपूत, निवासीगण- कृष्णनगर, तहसील आउ, जिला जोधपुर।
31. शाखा प्रबंधक एस.बी.बी.जे. बैंक शाखा फलोदी।
32. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा चाडी
33. शाखा प्रबंधक ओ.बी.सी. वर्तमान बैंक पी.एन.बी. बैंक शाखा खींचन।
34. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार फलोदी।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 26 अप्रैल 2018 सहायक कलक्टर फलोदी राजस्व मूल वाद संख्या 04/2016 सुजानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि

दावा बाबत

21.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

[illegible] अपील बतारीख 21 फरवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ परिहार मिनजानिब [illegible], नाहरसिंह सोलंकी, श्री पुष्पेन्द्रसिंह, श्री राजेन्द्र जाखड़ अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री [illegible] चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट गुणावगुण व सारहीन एवं म्याद बाधित होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 04/2016 सुजानसिंह व अन्य बनाम पदमसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 26 अप्रैल 2018 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रूपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 21 फरवरी 2024 को जारी किया गया।

(मंगलाराम पूनियां) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

21.2.24
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर